Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 183-2017/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, OCTOBER 18, 2017 (ASVINA 25, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 18 अक्तूबर, 2017

संख्या 115/एसटी–2.– हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 147 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा परिषद् की सिफारिशों पर, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, नीचे दी गई सारणी के खाना (2) में सूचीबद्ध माल की प्रदायों को समझे गए निर्यातों के रूप में अधिसूचित करते हैं, अर्थात् :–

सारणी

क्रम संख्या	प्रदाय का वर्णन
(1)	(2)
1.	अग्रिम प्राधिकार पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा माल की प्रदाय
2.	निर्यात संवर्धन पूंजी माल प्राधिकार पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा पूंजी माल की प्रदाय
3.	निर्यातोन्मुख यूनिट को रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा माल की प्रदाय
4.	अग्रिम प्राधिकार पर अधिसूचना संख्या 50/2017–सीमाशुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 (यथासंशोधित) में विनिर्दिष्ट किसी बैंक या पब्लिक सैक्टर उपक्रम द्वारा स्वर्ण की प्रदाय

व्याख्याः–

इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिएः–

1. "अग्रिम प्राधिकार" से अभिप्राय है, आयात के लिए या भौतिक निर्यातों के लिए पूर्व आयात आधार पर इनपुट के घरेलू उपापन के लिए विदेश व्यापार नीति, 2015–20 के अध्याय 4 के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा जारी प्राधिकार।
2. निर्यात संवर्धन पूंजी माल प्राधिकार से अभिप्राय है, भौतिक निर्यातों के लिए पूंजी माल के लिए आयात के लिए विदेश व्यापार नीति 2015–20 के अध्याय 5 के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा जारी प्राधिकार।
3. "निर्यातोन्मुख यूनिट" से अभिप्राय है, विदेश व्यापार नीति 2015–20 के अध्याय 6 के उपबंधों के अनुसार अनुमोदित निर्यातोन्मुख यूनिट या इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट या साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट या जैव प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 18th October, 2017

No. 115/ST-2. - In exercise of the powers conferred by section 147 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby notifies the supplies of goods listed in column (2) of the Table below as deemed exports, namely:-

Table

Serial Number	Description of supply
(1)	(2)
1.	Supply of goods by a registered person against Advance Authorisation
2.	Supply of capital goods by a registered person against Export Promotion Capital Goods Authorisation
3.	Supply of goods by a registered person to Export Oriented Unit
4.	Supply of gold by a bank or Public Sector Undertaking specified in the notification No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 (as amended) against Advance Authorisation.

Explanation -

For the purposes of this notification, –

1. "Advance Authorisation" means an authorisation issued by the Director General of Foreign Trade under Chapter 4 of the Foreign Trade Policy 2015-20 for import or domestic procurement of inputs on pre-import basis for physical exports.
2. Export Promotion Capital Goods Authorisation means an authorisation issued by the Director General of Foreign Trade under Chapter 5 of the Foreign Trade Policy 2015-20 for import of capital goods for physical exports.
3. "Export Oriented Unit" means an Export Oriented Unit or Electronic Hardware Technology Park Unit or Software Technology Park Unit or Bio-Technology Park Unit approved in accordance with the provisions of Chapter 6 of the Foreign Trade Policy 2015-20.

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.

55690—C.S.—H.G.P., Chd.